



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2009/श्रावण 12, 1931

No. 440]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2009/SRAVANA 12, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2009

सा.का.नि 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के अध्याय 2 में नियम 11 के उप-नियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(12) केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव हेतु दिशानिर्देश अधिकथित कर सकेगी।”

3. मूल नियमों के अध्याय 3 में नियम 17 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2क) अनुमोदन समिति प्रत्येक पखवाड़े में एक बार एक निश्चित पूर्व-निर्धारित दिन को बैठक करेगी।”

4. मूल नियमों के अध्याय 4 में नियम 26 में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि राज्य व्यापार उद्यमों से संबंधित विदेश

व्यापार नीति निर्बंधन विशेष आर्थिक जोन विनिर्माण यूनितों को लागू नहीं होंगे;

परन्तु यह भी कि लौह अयस्क का निर्यात केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिरोपित शर्तों के अधधीन होगा।”

5. मूल नियमों के, अध्याय 4 में नियम 27 के उप-नियम (9) में पहले परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि जिस माल को मरम्मत हेतु विशेष आर्थिक जोन के बाहर भेजा जाता है, वह विनिर्दिष्ट अधिकारी को इतिला देते हुए विशेष आर्थिक जोन से बाहर भेजने के 180 दिनों के भीतर विशेष आर्थिक जोन को लौटा दिया जाए। यदि माल को बदलने के लिए बाहर भेजा जाता है तो बदले हुए माल पर इस प्रयोजनार्थ शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, शुल्क वापसी अथवा अन्य निर्यात प्रोत्साहनों का दावा नहीं किया जाएगा।”

6. अध्याय 4 में मूल नियमों के नियम 39 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“जहां शुल्क वापसी या शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम प्रत्यय या किसी निर्यात संवर्धन स्कीम के दावे के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपाप्त कोई माल, प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाता है तो ऐसी जोन यूनिट से यह अपेक्षित होगा कि वह ऐसे माल पर दावा किए गए वापसी शुल्क या शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम प्रत्यय अथवा किसी अन्य निर्यात प्रोत्साहन का भुगतान करे :

परन्तु यह कि ऐसे मामले में, जहां यूनिट ने विदेशी मुद्रा के भुगतान पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल उपाप्त किया है, यूनिट ऐसे माल पर दावा की गई शुल्क वापसी या शुल्क हकदारी

पासबुक स्कीम प्रत्यय अथवा किसी निर्यात प्रोत्साहन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।”

7. अध्याय 4 में मूल नियमों के नियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“किसी गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र से किसी प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच तथा किसी विशेष आर्थिक जोन के एक प्रसंस्करण क्षेत्र से उसी विशेष आर्थिक जोन के किसी भिन्न प्रसंस्करण क्षेत्र को माल का संचलन, स्वामी या प्रबंध-निदेशक अथवा कार्यकारी भागीदारी या कंपनी सचिव या यथास्थिति यूनिट अथवा निमित्त विकासकर्ता द्वारा इस में विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्व-अधिप्रमाणित क्रमागत रूप से संख्यांकित चालानों के अधीन किया जाएगा तथा चालान में माल का विवरण अंतर्विष्ट होगा।”

8. मूल नियमों के अध्याय 4 में नियम 46 के उप-नियम (8) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि विदेशों में बेची न गई वस्तुओं को उनके निर्यात की तारीख से तीन सौ पैसठ दिन की अवधि के भीतर पुनः आयात किया जा सकेगा।”

9. मूल नियमों के अध्याय 8 में नियम 70 के उप-नियम (2) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“पहचान-पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा तथा उद्यमियों और यूनिट के नियमित कर्मचारियों को प्ररूप ‘ट’ में जारी किया जाएगा :

परन्तु यह कि जब कोई कर्मचारी, जिसे पहचान-पत्र जारी किया गया है, उक्त यूनिट या विकासकर्ता के नियोजन में नहीं रहता है, तो उक्त पहचान-पत्र तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा और उस तारीख से अविधिमान्य समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि यूनिट के अनुमोदन-पत्र की वैधता के समाप्त होने पर उद्यमियों तथा ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों को जारी किए गए सभी पहचान-पत्र, अविधिमान्य माने जाएंगे तथा उन्हें तत्काल अभ्यर्पित किया जाएगा।”

[फा. सं. सी-2/3/2008-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सं. सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1	2	3
1.	470(अ)	10 अगस्त, 2006
2.	393(अ)	16 मार्च, 2007
3.	1744(अ)	12 अक्टूबर, 2007

1	2	3
4.	2661(अ)	14 नवम्बर, 2008
5.	72(अ)	3 फरवरी, 2009
6.	1293(अ)	20 मई, 2009

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2009

G.S.R. 562(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Third Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, (hereinafter referred to as the principal rules), Chapter II in rule 11, after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(12) The Central Government may lay down guidelines for development, operation and maintenance of Special Economic Zones.”

3. In the principal rules, in Chapter III, in rule 17, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2A) The Approval Committee shall meet once in every fortnight on a fixed predetermined day.”

4. In the principal rules in Chapter IV, in rule 26, after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely :

“Provided also that the Foreign Trade Policy restrictions on State Trading Enterprises shall not apply to Special Economic Zone manufacturing Units :

Provided also that export of iron-ore shall be subject to the conditions as imposed by the Central Government.”

5. In the principal rules, in Chapter IV, in rule 27, in sub-rule (9), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that the goods which are sent outside the Special Economic Zone for repairs are returned to the Special Economic Zone, within 180 days from the date of removal from the Special Economic Zone, under intimation to the specified officer. In case goods are sent out for replacement then on replaced goods, no Duty Entitlement Passbook Scheme, duty drawback or other export incentives shall be claimed for this purpose.”

6. In the principal rules, in Chapter IV, in rule 39 for sub-rule (4) the following shall be substituted, namely :—

“Where any goods procured from Domestic Tariff Area under claim of drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme credit or under any export promotion scheme are destroyed due to natural calamities, the zone unit shall be required to pay drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme credit or any other export incentive claimed on such goods:

Provided that in case where the Unit has procured the goods from Domestic Tariff Area against payment of foreign exchange, the Unit shall not be liable to pay back drawback or Duty Entitlement Passbook Scheme credit or any export incentive claimed on such goods.”

7. In the principal rules, in Chapter IV, for rule 40, the following rule shall be substituted, namely :—

“The movement of goods to and from non-processing area to a processing area and from one processing area of Special Economic Zone to a different processing area of the same Special Economic Zone shall be under serially numbered challans pre-authenticated by the owner or Managing Director or working partner or the company secretary or by any person duly authorised in this behalf by the unit or developer, as the case may be, and the challans shall contain complete description of goods.”

8. In the principal rules, in Chapter IV, in rule 46, in sub-rule (8), for the proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that the items not sold abroad may be re-imported within a period of three hundred and sixty five days from the date of their export.”

9. In the principal rules, in Chapter VIII, in rule 70, in sub-rule (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“The identity card shall be valid up to a period of five years and shall be issued, in the format given in Form ‘K’, to the entrepreneurs and regular employees of the Units :

Provided that when any employee who has been issued an identity card ceases to be in employment of the Unit or Developer, the said identity card shall be surrendered forthwith and shall be deemed to be invalid from such date:

Provided further that when the Unit ceases to hold a valid Letter of Approval, all identity cards issued to the Entrepreneurs and employees of such Unit shall be deemed to be invalid and shall be surrendered forthwith.”

[F. No. C. 2/3/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and subsequently amended as under :—

S.No.	G.S.R	Dated
1.	470 (E)	10th August, 2006
2.	393 (E)	16th March, 2007
3.	1744 (E)	12th October, 2007
4.	2661 (E)	14th November, 2008
5.	72 (E)	3rd February, 2009
6.	1293(E)	20th May, 2009